162

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 752—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—02—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभांग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 165/2009—10/अपील

.....

बाबूलाल पुत्र प्रकाश रावत,
निवासी— ग्राम चकटिटोर, तहसील
व परगना मुंगावली, जिला—अशोकनगर, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— भोगीराम पुत्र तेजा रावत,
निवासी— ग्राम चकटिटोर, तहसील
व परगना मुंगावली, जिला—अशोकनगर, म0प्र0

2— मध्यप्रदेश शासन

3— भगवान सिंह पुत्र हजारा सिंह सिक्ख,
निवासी— ग्राम चकटिटोर, तहसील
व परगना मुंगावली, जिला—अशोकनगर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2
श्री एस0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-9-2016को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 165/2009—10/अपील में पारित आदेश दिनांक 05—02—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि अनावेदक क्र0 1 भोगीराम ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अभिकथन किया कि उसने किसी बाबूसिंह नाम के व्यक्ति को भूमि जोतने के लिये दी थी, परन्तु बाबूसिंह ने आवेदक के हित में विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया। विक्रय बिना अनुमति के होने से उसे भूमि पर कब्जा दिलाया जाये। इस पर अनुविभागीय अधिकारी, मुगांवली ने संहिता की धारा 165 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19.05.2008 को अनावेदक के हित में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की परंतु अपर कलेक्टर ने वैधानिक आपत्तियों का निराकरण किये बिना अनुविभीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। अपर कलेक्टर के इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया । जहॉ प्रकरण क्रमांक 165/2009–10/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 05–02–2013 से अपील अस्वीकार की गई । न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा पुनः समस्त वैधानिक आधारों एवं तथ्यों का उल्लेख करते हुये पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अपर आयुक्त के विवादित आदेश द्वारा निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक तथा अनावेदक क्र0 1 दोनों ही आदिवासी है । आवेदक ने अनावेदक से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय की थी तथा भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया था । विक्रय करने के दिनांक से अनावेदक क्र0 1 का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है । अनावेदक क्र0 1 ने संहिता की धारा 165 के अंतर्गत मूल आवेदन प्रस्तुत किया था, अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रारंभिक आदेश में संहिता की धारा 165 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये सूचना पत्र जारी किये, आवेदक ने तद्नुसार ही अपना पक्ष समर्थन किया था । ऐसे प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी को 1976 के अधिनियम के तहत आदेश पारित करने का विचाराधीकार नहीं था । अनावेदक क्र0 1 के द्वारा दिये गये मूल आवेदन में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि उसने किसी व्यक्ति से ऋण लिया था तथा ऋण के कारण उसकी भूमि का अंतरण हुआ था । जब मूल आवेदन में ही ऐसा कोई अभिकथन नहीं था ना ही अनावेदक क्र0 1 का आवेदन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रारूप में दिया गया था और न ही उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम

3 द्वारा विहित प्रारूप 2 में कोई कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया, तब अंतिम आदेश में मात्र अधिनियम का उल्लेख कर देने प्रकरण उक्त अधिनियम के अंतर्गत होना नहीं माना जा सकता । अपर आयुक्त ग्वालियर ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना विवादित आदेश पारित किये है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि मूल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विधिक प्रावधान, प्रार्थना पत्र के अभिकथनों तथा उस पर की गई कार्यवाही से पृथक जाकर किसी अन्य विधि के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करने का विचाराधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था । न्यायालीन प्रक्रिया विधिसम्मत होना आवश्यक है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से शून्यवत है क्योंकि आवेदक को अंधकार में रखकर अनुविभागीय अधिकार ने आवेदक के हितों के विरूद्ध आदेश परित किया है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय को यह विचाराधिकार प्राप्त है की वह न केवल अपर आयुक्त के आदेश पर विचार करे वरन प्रकरण के अभिलेख तथा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की विवेचना कर न्यायसंगत आदेश पारित करें । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । अनावेदक क्र0 एवं 3 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0प्र0 समाज के कमजोर वर्गो को कृषि भूमिधारकों को उधार देने वालों को भूमि हड़पने संबंधी कृषकों के परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत कार्यवही की जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अधिनियम की धारा 9 में यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम में अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय कलेक्टर द्वारा अपील में किया गया प्रत्येक आदेश या अपील फाइल न की जाने की दशा में उपखण्ड अधिकारी का प्रत्येक आदेश को अंतिम रूप दिया गया है । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । म0प्र0 समाज के कमजोर वर्गो को कृषि भूमिधारकों को उधार देने वालों को भूमि हड़पने संबंधी कृषकों के परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 पृथक से स्वतंत्र अधिनियम है और समस्त कार्यवाहियॉ इसी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत होती हे । अतएव संहिता की

धाराओं के प्रावधान इस अधिनियम में लागू नहीं होते । इसी अधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ। फलतः निगरानी खारिज की जाती है।

6/ प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो । संबंधित सूचित हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर